राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–2797 / 2005 / बीकानेर

श्री जय शंकर पुत्र श्री शिव शंकर,
जाति–पुरोहित, निवासी–1 डी 73, जयनारायण
व्यास कॉलोनी, बीकानेर ...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक,बीकानेर
2. ब्रह्मशंकर पुत्र श्री शिवशंकर,कैलाशपुरी, बीकानेर
3. दयाशंकर पुत्र श्री शिवशंकर पुरोहित,ब्रह्मचार्य आश्रम विजय दाल मिल, बीकानेर
4. विजयशंकर पुत्र श्री शिवशंकर, पुरोहित, ब्रह्मचार्य आश्रम
   विजय दाल मिल, बीकानेर ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम–सदस्य

उपस्थित : :

श्री गिरीश पारीक,
अभिभाषक(ब्रिफ होल्डर) ....प्रार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी–राजस्व की ओर से
नाम तर्क ......अप्रार्थीगण सं. 2,3,4

निर्णय दिनांक : 20.07.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) बीकानेर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 19.08.2002 प्रकरण संख्या 338 / 98 के विरूद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 56 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उप पंजीयक बीकानेर की ऑडिट के दौरान महालेखाकार राज0, जयपुर के दल ने पाया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2,3 व 4 की बीच पंजीबद्ध दस्तावेज (लेखपत्र) संख्या 1352 / 90, 1353 / 290, 1372 / 90 व 1373 / 90 गलत वगीकरण के है चारो दस्तावेज से सम्पति का बंटवारा किया गया है। उपरोक्त लेखपत्रों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि पूर्व में पारिवारिक समझौते के आधार पहले ही मकानात प्रत्येक व्यक्ति को हिस्से के अनुसार दे दिये गये थे। उस बंटवारनामें की पुष्टि बाबत रिलीजों द्वारा प्रत्येक को 1 / 5 हिस्सा प्रदान किया गया। अतः हकतर्क(रिलीज) न होकर, वास्तव में बंटवारानामा की श्रेणी बनने से प्रत्येक व्यक्तियों का 1 / 5 हिस्सा प्रदान होने से हकतर्क न होकर बंटवारा है। इस प्रकार भिन्न–भिन्न दिनांको में जानबूझकर बंटवारा की बजाय हकतर्कनामें कराये जाने से

लगातार.........2

प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने मुद्रांक की अपवंचना करने से उप पंजीयक द्वारा मालियत रू0 1,60,000/– पर आर्टीकल 23 के तहत कमी राशि रू0 21,905/–का रेफरेंस कलक्टर (मुद्रांक) बीकानेर को पेश किया। कलक्टर(मुद्रांक) ने रेफरेंस दर्ज कर प्रार्थी/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर, अपने निर्णय दिनांक 19.08.2002 द्वारा कमी मुद्रांक रू0 21,705/–एवं शास्ति रू0 295/–कुल रू0 22,000/– प्रार्थी से वसूल करने का आदेश जारी किया। कलक्टर(मुद्रांक) के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रार्थी द्वारा यह निगरानी पेश की गयी है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4 का नाम प्रार्थी के निवेदन पर आदेश दिनांक 18.01.2016 द्वारा तर्क किया गया।

5. बहस विद्वान अभिभाषकगण की उभयपक्ष सुनी गई।

6. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि महालेखाकार की टिप्पणी को आधार मानकर प्रकरण बनाया गया है जबकि पारिवारिक समझौते पर न तो स्टाम्प ड्यूटी देय है और ना ही पंजीयन जरूरी है इसलिए रेफरेंस भी गलत व कानून विरूद्ध किया गया है। एक बार उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज पंजीयन कर लौटा दिये जाने के बाद किसी अन्य अन्य अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर रेफरेंस नहीं किया जा सकता। पंजीयन हेतु पेश दस्तावेज रिलीजडीड है जिसे पार्टीशन मानने की उप पंजीयक ने भूल की है। आरआरडी 1998 पेज 337 के अनुसार भी रिलीजडीड को अन्य दस्तावेज की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने डीएनजे 2002(1) पेज 386 से नियम 59–बी को असंवैधानिक घोषित कर दिया है इसलिये इस नियम के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशों के अनुसार दस्तावेजों को रिलीजडीड ही माना जाना चाहिये। उन्होंने यह भी कथन किया कि निर्धारित समय में मृतक के कायम मुकाम को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण भी ऐबेटेड हो गया है जिसमें आदेश दिया जाा उचित नहीं है। उक्त तर्कों के साथ उन्होंने निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या एक की ओर से कथन किया गया कि महालेखाकार ऑडिट दल ने ऑडिट के दौरान पाया कि दस्तावेज (लेखपत्र) संख्या 1352/90, 1353/290, 1372/90 व 1373/90 पंजीबद्ध हकतर्कनामें वास्तव में बंटवारानामों की श्रेणी में आते है राजस्थान मुद्रांक कर विधिअनुकूलन अधिनियम 1952 की धारा 45 के अनुसार विभाजन पत्र पर एक बड़े भाग को छोड़कर शेष अन्य विभाजित हिस्सों का मूल्य जोड़कर उस पर हस्तातंरण की दर से मुद्रांक कर देय होता है। विवादित दस्तावेजों से श्री शिवशंकर पुत्र श्री सुजानमल व श्री ब्रह्मशंकर, विजयशंकर, दयाशंकर पुत्रान श्री शिवशंकर निवासी रानी बाजार, बीकानेर ने अपनी अचल संपति मकान का बंटवारा हक तर्कनामों द्वारा किया जबकि बंटवारनामें द्वारा उक्त संपति प्रत्येक हिस्सेदार को सम भाग रूप में दी जा सकती थी। दस्तावेज से

लगातार.....3

ज्ञात चला कि पूर्व में पारिवारिक समझौते के आधार पर पहले ही मकानात प्रत्येक व्यक्ति को हिस्से के अनुसार दे दिये गये थे। उस बंटवारनामें की पुष्टि करने हेतु इन हकतर्कनामों द्वारा प्रत्यके व्यक्ति को 1/5 हिस्सा प्रदान किया गया। यह हकतर्कनामा न होकर वास्तव में बंटवारा हुआ है और प्रत्येक को 1/5 हिस्सा प्रतिव्यक्ति प्राप्त हुआ। उसकी मालियत अलग–अलग अंकित की गई। इस प्रकार बंटवारनामा के स्थान पर हकतर्कनामा कराये जाने से मुद्रांक कर की अपवंचना हुई है। उन्होंने कलक्टर मुद्रांक के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए, प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

9. विचाराधीन प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि प्रश्नगत दस्तावेज Release Deed की श्रेणी में माना जाये या Partition Deed की श्रेणी में। इस संबंध में Release व Partition को Advanced Law Lexicon Dictionary Third Edition (Publisher Vadhwa & Company Nagpur) में किये गये उल्लेख के आधार पर निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है :–

Partition :- Partition is a legal process by which joint title and possession of co-owners of the entire joint property is converted into separate title and possession of each of the co-owners in respect of specific item or items. The joint property is divided in specie and each one of the erstwhile joint owners is put in possession of specific extent of property, which is allotted to his share.

Release :- A "release" has been defined to be the act or writing by another, the giving up or abandoning of a claim or right to the person against whom the claim exists or the right is to be exercised or enforced.

विचाराधीन प्रकरण में प्रश्नगत दस्तावेज पंजीयन दिनांक 02.05.1990 द्वारा दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति आवासीय मकान अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4 व उनके पिता श्री शिवशंकर ने प्रार्थी जयशंकर के पक्ष में त्याग की है। दस्तावेज के अनुसार यह सम्पत्ति अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4 के दादा व श्री शिवशंकर के पिता सुजानमल के नाम थी। इस प्रकार यह सम्पत्ति पैतृक थी जिसमे श्री सुजानमल के पुत्र शिवशंकर व शिवंशकर के पुत्रगण प्रार्थी व अप्रार्थीगण प्रत्येक का 1/5 हिस्सा हुआ। श्री शिवशंकर व अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4 प्रत्येक ने अपना 1/5 हिस्सा प्रार्थी जयशंकर के पक्ष में त्याग किया है। इस प्रकार प्रकरण में पैतृक सम्पत्ति का त्याग अपने परिवार के रक्त सम्बन्धित सदस्यों के पक्ष में किया है। यह दस्तावेज हक त्याग की श्रेणी में ही माना जायेगा। बटवारनामें में प्रत्येक भागीदार अपना हिस्सा प्राप्त करता है जबकि विचाराधीन प्रकरण में शेष भागीदारों ने अपना हिस्सा प्राप्त नहीं किया है बल्कि एक सह भागीदार के पक्ष में अपना–अपना हिस्सा त्याग किया है। इस प्रकार इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार प्रश्नगत दस्तावेज हक त्याग (Release Deed) की श्रेणी में आता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस दस्तावेज को बटवारनामा मानकर आर्टिकल 45 के अनुसार मुद्रांक कर आदि की देयता मानना विधिसम्मत नहीं है क्योंकि Partition Deed द्वारा संयुक्त स्वामित्व व कब्जा व्यक्तिगत

लगातार.....4

स्वामित्व एवं कब्जे में परिवर्तित होता है जबकि इस प्रकरण में ऐसा न होकर संयुक्त स्वामित्व व कब्जा प्रार्थी के पक्ष में त्याग किया गया है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रश्नगत दस्तावेज बटवारनामें की श्रेणी में न होकर हक त्याग की श्रेणी में है तथा इस दृष्टिकोण से अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 19.08.2002 नियमानुसार एवं विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य